



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236405
CG-DL-E-08062022-236405

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2022/ज्येष्ठ 18, 1944

No. 409]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2022/JYAISHTHA 18, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

सं. 21/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 430(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “नए अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों के बिना आयत किये गए ट्यूबों और अथवा फ्लेपो को छोड़कर बसों और लॉरियो / ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक के सामान्य रिम के व्यास कोड वाली ट्यूबों और / अथवा रबर (ट्यूब रहित टायरों सहित) के फ्लैप सहित अथवा उनके बिना” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4011 20 10 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1169(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने

प्रारंभिकीकरण अधिसूचना फा संख्या 7/02/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 मार्च, 2022, जिसे दिनांक 30 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपादन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1169 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क दिनांक 17 दिसंबर 2022 तक, जिससे यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।"

[फा. सं. 190354/106/2022 - टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1169(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2022

No. 21/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 430(E).—Whereas, the designated authority, *vide*, initiation notification F. No. 7/02/2022-DGTR, dated the 30th March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th March, 2022, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “new/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having normal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 4011 20 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2017-Customs (ADD), dated the 18th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1169 (E), dated the 18th September, 2017, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 45/2017-Customs (ADD), dated the 18th September, 2017, published in the

Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1169 (E), dated the 18th September, 2017, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 17th December, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. 190354/106/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 45/2017-Customs (ADD), dated the 18th September, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1169 (E), dated the 18th September, 2017.